न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 63/2023 पुराना, 382/2023नया दायर तारीख :– 17.08.2023

1. बजरंग लाल पुत्र श्री बंशी।
2. कजोड पुत्र श्री बंशीधर ग्राम धोल्या का बास पोस्ट बाघावास जयपुर 303603

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री नाथु
2. चंदा पुत्र श्री हनुमान
3. जगदीश पुत्र श्री नाथु
4. मदनलाल पुत्र श्री हनुमान
5. मालीराम पुत्र श्री हनुमान
6. लालाराम पुत्र श्री हनुमान
7. शंकरलाल पुत्र श्री हनुमान
8. ग्यारसी देवी पत्नी श्री हनुमान

   समस्त निवासीयान नदी का किनारा ग्राम धोलिया का बास पोस्ट बाघावास वाया रेनवाल बाघावास जयपुर राजस्थान 303603
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा किशनगढ रेनवाल जरिये शाखा प्रबन्धक
10. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड , शाखा चौमु तहसील चौमू जिला जयपुर
11. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करणसर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, कि0रेनवाल

प्रतिवादीगण

वाद बाबत आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश बगडिया अधिवक्ता वादी
श्री जयंत चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.11.2025

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम धोल्या का बास, पटवार हल्का बाघावास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर मे स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.6070 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.0759 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0. 3794 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3152 हैक्टैयर जिसमें वादी संख्या 1 की हिस्सा 1/4 खातेदारी, तथा वादी संख्या 2 की हिस्सा 1/4 खातेदारी है। हिस्सा 7/208 की खातेदारी पृथक पृथक प्रतिवादी संख्या 1 व 3 तथा हिस्सा 1/20 की खातेदारी पृथक पृथक प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगायत 7 तथा हिस्सा 19/104 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज है। उपरोक्त संपति पर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि कृषि भूमि पृथक पृथक 1/4, 1/4 पर काबिज काश्त है। वादीगण वाद संपति में अपने हक हिस्से की आराजीयात की भूमि को पत्थर के कातले लगाकर, कटिले तार व जाली लगाकर, महदूद व सुरक्षित कर रखा है। उपरोक्ता आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु मनबट से बंटवारा कर रखा है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात पर बाजरे की फसल बुवाई दिनांक 03.06.2023 को की है। प्रतिवादी संख्या 5,6,7 आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। जो आये दिन भूमि के मनबट से कर रखे बंटवारे की निर्धारित कर रखी सीवंडोल के साथ तारबन्दी व जाली के साथ तोडफोड व छेडखानी कर वादीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। एंव

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

वादीगण के हक हिस्से की आराजीयात व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की धमकीया देकर, कब्जा करने की कोशिश करते रहते है। अपनी इसी बदनियती के चलते प्रतिवादी संख्या 5,6,7 ने दिनांक 09.03.2023 को वादी संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादी संख्या 1 की कब्जे काश्त की भूमि की पूर्वी दिशा की तारबन्दी , जाली जो कातलों के सहारे लगी हुई थी, में कातलों को तोडफोडकर , उन्हे हटा दिया था तथा तारबन्दी व जाली को भी हटा दिया। वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5,6,7 को उक्त संदर्भ में आपत्ति की गई तो प्रतिवादी संख्या 5,6,7 आग बबुला हो गये। जिनकी शिकायत वादी संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना रेनवाल को की गई, परन्तु प्रतिवादी संख्या 5,6,7 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसी का लाभ उठाकर दिनांक 12.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 5,6,7 ने वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कर रखी बीजाई वाली भूमि पर कब्जा करने के लिए 8–10 व्यक्तियों को लेकर आ गये तथा धमकी देने लगे की आज वे वादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त व बीजाई वाली भूमि से बेदखल कर कब्जा करके ही रहेंगें जिसका वादीगण द्वारा कडा ऐतराज किया गया तो प्रतिवावादी संख्या 5,6,7 तासमय चले गये। परन्तु धमकी देकर गये कि वे अपने मन्सूबों को पूरा करके कही दम लेंगें प्रतिवादी संख्या 5,6,7 द्वारा दिनांक 09.03.2023 व दिनांक 12.06.2023 को कारित उक्त घटनाक्रम के कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01से 08 की ओर वकील जयंत चौधरी ने वकालतनामा पेश किया व जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी 9,10,11 फार्मल पार्टी है। प्रतिवादी संख्या 12 पैरोकार सरकार है। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता0 8 की ओर मौके के कब्जे अनुसार तकासमा हेतु सहमति आदेशिका पर व्यक्त की।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की।
4. प्रकरण दिनांक 08.08.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार कि0रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक उभय पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से नक्शें कुर्रेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुर्रेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुर्रेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का अनन्य भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे। वाकै ग्राम धोल्या का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल बजरंग लाल पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1056/1	0.1265	चाही–3
		1057/1	0.3414	चाही–2 0.3000 जाव–2 0.0414
		1059/1	0.1897	चाही–2
	कुल किता	3	0.6576	
2	गोपाललाल पुत्र नाथू हि0 443/6576 जगदीश पुत्र नाथू हि0 443/6576 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10, मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि.1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 ग्यारसी देवी पत्नी हनुमान हि0 1201/3288 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1056/2	0.1264	जाव–3
		1057/2	0.2656	चाही–2 0.2437 जाव–3 0.0219
		1058	0.0759	चाही–2
		1059/2	0.1897	चाही–2
	कुल किता	4	0.6576	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन/संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

वजरंगलाल बनाम गोपाल वगैरह
वाद सं0 63/23

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :— सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. बजरंग लाल पुत्र श्री बंशी।
2. कजोड पुत्र श्री बंशीधर ग्राम धोल्या का बारा पोस्ट बाघावास जयपुर 303603

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री नाथु
2. चंदा पुत्र श्री हनुमान
3. जगदीश पुत्र श्री नाथु
4. मदनलाल पुत्र श्री हनुमान
5. मालीराम पुत्र श्री हनुमान
6. लालाराम पुत्र श्री हनुमान
7. शंकरलाल पुत्र श्री हनुमान
समस्त निवासीयान नदी का किनारा ग्राम धोलिया का बास पोस्ट बाघावास वाया रेनवाल बाघावास जयपुर राजस्थान 303603
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा किशनगढ रेनवाल जरिये शाखा प्रबन्धक
9. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड , शाखा चौमु तहसील चौमू जिला जयपुर
10. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करणसर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, कि0रेनवाल

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन आराजी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या :— 63/2023 पुराना, 382 /2023नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश कुमार बगडिया व हाजरी श्री जयंत चौधरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग—उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम धोल्या का बास तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कजोड पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल बजरंग लाल पुत्र बंशी हि0 1/2 राहिन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1056/1 1057/1 1059/1	0.1265 0.3414 0.1897	चाही—3 चाही—2 0.3000 जाव—2 0.0414 चाही—2
	कुल किता	3	0.6576	
2	गोपाललाल पुत्र नाथू हि0 443/6576 जगदीश पुत्र नाथू हि0 443/6576 राहिन	1056/2	0.1264	जाव—3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

	एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा चौमू चन्दाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10, मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि.1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि0 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि0 1/10 ग्यारसी देवी पत्नी हनुमान हि0 1201/3288 जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1057/2 1058 1059/2	0.2656 0.0759 0.1897	चाही–2 0.2437 जाव–3 0.0219 चाही–2 चाही–2
	कुल किता	4	0.6576	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन/कुर्क संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल के आदेश क्रमांक 502 दिनांक 26.08.2025, राजस्व वाद सं. 63/2023 पुराना 382/2[illegible] तथा उनवान बजरंगलाल वगैरा बनाम गोपाल वगैरा निर्णय दिनांक 08.08.2025 व श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ़ रेनवाल के आदेश क्रमांक / LR / 51[illegible] दिनांक 27.08.2025 की पालना में ग्राम- धोलपाकाबास के खसरा संख्या 1056, 1057, 105[illegible], 1059 की नक्शे कुरेजात निम्नानुसार है:—

वर्तमान प्रविष्टि						नवीन प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान	खातेदार विवरण	खातेदार विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
148	1056	0.2529	चाही 3 0.1265	2.03	कजोड़ पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल गोपाललाल पुत्र नाथू हि. 7/208 राहिन HDFC बैंक शाखा चौमूं चन्दाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 राहिन पंजाब नेशनल शाखा करणसर जगदीश पुत्र नाथू हि. 7/208 राहिन HDFC बैंक लि. शाखा चौमूं बजरंगलाल पुत्र बंशी हि. 1/4 राहिन HDFC बैंक लि. शाखा चौमूं मदनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 मालीराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 लालाराम पुत्र हनुमान हि. 1/20 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर रमारसी देवी पत्नी हनुमान हि. 19/104 शंकरलाल पुत्र हनुमान हि. 1/20 जाति अहीर सा. देह खातेदार।	① कजोड़ पुत्र बंशी हि. 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रेनवाल बजरंगलाल पुत्र बंशी हि. 1/2 राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा चौमूं जाति अहीर सा. देह खातेदार।	1056/1	0.1265	चाही 3 0.1265	2.03
			गैर 3 0.1264	0.97			1057/1	0.3414	चाही 2 0.3000	6.30
	1057	0.6070	चाही 2 0.5437	11.41					गैर 2 0.0414	0.32
			गैर 2 0.0633	0.49			1059/1	0.1897	चाही 2	3.98
						योग =	3	0.6576	-	12.63
	1058	0.0759	चाही 2	1.59		② गोपाललाल पुत्र नाथू हि. 443/6576 जगदीश पुत्र नाथू हि. 443/6576 राहिन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा चौमूं चन्दाराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 मदनलाल पुत्र हनुमान हि. 1/10 मालीराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 लालाराम पुत्र हनुमान हि. 1/10 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा करणसर शंकरलाल पुत्र हनुमान हि. 1/10 रमारसी देवी पत्नी हनुमान हि. 1201/3288 जाति अहीर सा. देह खातेदार।	1056/2	0.1264	गैर 3	0.97
	1059	0.3794	चाही 2	7.96			1057/2	0.2656	चाही 2 0.2437	5.11
कुल =	4	1.3152	-	24.45					गैर 3 0.0219	0.17
							1058	0.0759	चाही 2	1.59
							1059/2	0.1897	चाही 2	3.98
						योग =	4	0.6576	-	11.82

नोट- जमाबन्दी खाता 148 में नोट सं. 06 से कजोड़ पुत्र बंशी का हिस्सा पर कुर्की का नोट लगा हुआ है।

जगदीश चन्दाराम कजोड़

अ.नि. गोपाल   अ.नि. रमारसी देवी   अ.नि. मालीराम

ह. पटवारी धोलपाकाबास 29.09.2025

29.09.2025 ILR धोलपाकाबास

तहसीलदार (भू.अ.)
कि. रेनवाल (जयपुर)

N
S

नकल नजरी नक्शा डिजीटल शीट
ग्राम- चौल्या का बास, तहसील- किशनगढ़ रेनवाल
जिला- जयपुर (राज.)

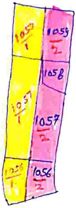

संकेत

- (गुलाबी) ← गोपाल जगदीश पि. नाथू
  चन्द्राराम मदनलाल मालीराम
  नानगराम शंकरलाल पि. हनुमान
  प्यारसी देवी पत्नी हनुमान
- (पीला) ← कजोड़ बजरंग लाल पि. बंशी

चन्द्राराम

कजोड़

जगदीश

अ.नि. मालीराम

अ.नि. प्यारसी देवी

अ.नि. गोपाल

इ०प० चौल्याबास
29-9-2025

29.09.2025
ILR चौल्याबास

तहसीलदार (भू.अ.)
कि. रेनवाल (जयपुर)